वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 05.07.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", दैनिक जागरण, अमर उजाला, आज, राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्तान, जनसंदेश टाइम्स, जनवार्ता, न्यायाधीश, तरुणमित्र न्यूज़ ,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

दैनिक जागरण–दि0 05.07.2024

एचएफएल क्षेत्र में भवन मरम्मत की मिलेगी अनुमति

वीडीए की मुहर

- गंगा घाट से 200 मीटर दायरे में मिलने वाली अनुमति की तर्ज पर देंगे सुविधा लेंगे तय शुल्क
- मठ, मंदिर और आश्रम संचालक को देना होगा शपथपत्र, गंगा में नहीं जाएगी गंदगी

जागरण संवाददाता, वाराणसी : हाई फ्लड लेबल (एचएफएल) से प्रभावित तीन लाख से अधिक आबादी के लिए राहत भरी खबर है। गंगा किनारे से 200 मीटर के दायरे में आने वाले पुराने भवनों की मरम्मत के अनुमोदन की तर्ज पर एचएफएलं क्षेत्र में अनुमति दी जाएगी। मरम्मत की अनुमति देने के लिए वीडीए एक तय शुल्क लेगा। गुरुवार को वाराणसी विकास प्राधिकरण की 131वीं बोर्ड बैठक में इस पर मुहर लगाई गई।

बोर्ड की अध्यक्षता वीडीए सभागार में अध्यक्ष व मंडलायुक्त कौशलराज शर्मा ने की। उन्होंने संबंधित प्रस्तावों पर निर्णय लिया और अनुमोदन के लिए उसे शासन को भेजने का निर्देश दिया। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव रखा और संचालन सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा ने किया। इस दौरान शहर के विकास का एक-एक एजेंडा रखा गया। उपाध्यक्ष ने प्रस्ताव में रखा कि गंगा किनारे 200 मीटर के दायरे में मठ, मंदिर और आश्रम को मरम्मत के लिए अनुमति देने से पहले कई शर्तें लगाई गई है। संचालक इस बात का शपथ पत्र देगा कि उसके द्वारा गंगा में गंदगी नहीं की जाएगी। साथ ही सेटबैक छोड़ना होगा। शर्तों का उल्लंघन करने पर आदेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।

तालाबों के लिए 10 और पार्कों के लिए 25 करोड़ की राशि होगी खर्च » 8

बोर्ड सदस्य ने जताई नाराजगी

बोर्ड की बैठक में नामित सदस्य को दूर बैठाए जाने पर साधना वेदांती ने नाराजगी जाहिर की। साधना वेदांती के विरोध करते ही अधिकारियों में खलबली मच गई। वीडीए सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा तीनों सदस्यों को आगे स्थान दिया।

सील भवन में संचालित हो रहा होटल

बोर्ड सदस्य अंबरीष सिंह भोला ने कहा कि सील भवन में होटल संचालित किया जा रहा है। शिकायत के बाद भी वीडीए के जोनल अधिकारी और अवर अभियंता ने कोई कार्रवाई नहीं की। मंडलायुक्त ने कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

अवैध निर्माण पर कमिश्नर नाराज, बोले–खुद निकले हम और डीएम साहब

शहर में अवैध निर्माण तेजी से होने और प्रभावी कार्रवाई नहीं होने पर मंडलायुक्त ने बोर्ड बैठक में सवाल उठाया। कहा कि प्रवर्तन कार्रवाई संतोषजनक नहीं है। जोनल अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए कहा कि मैं और जिलाधिकारी अवैध निर्माण देखने निकले। भवन प्रभारी को सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

दैनिक जागरण–दि0 05.07.2024

तालाबों पर 10 और पार्कों के लिए खर्च किए जाएंगे 25 करोड़ रुपये

वीडीए की 131वीं बोर्ड की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

जागरण संवाददाता, वाराणसी : विकास प्राधिकरण (वीडीए) की 131वीं बोर्ड बैठक में हाई फ्लड लेवल से प्रभावित लोगों को राहत के अलावा कई बिंदुओं पर चर्चा की गई और निर्णय लिया गया। इनमें मुख्य हैं

- वीडीए सीमा में आने वाले तालाबों के सुंदरीकरण पर 10 करोड़ और पार्कों पर 25 करोड़ की राशि खर्च होगी।
- नगरीय क्षेत्र में पेट्रोल पंपों के लिए लोक निर्माण विभाग की ओर से न्यूनतम माप 20 मीटर चौड़ा और 20 लंबा होगा या आयल कंपनियों का आदेश मान्य होगा।
- पांच करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शासन से स्वीकृति के लिए हुआ अनुमोदन।
- 28.37 करोड़ में नरोखर तालाब (सारनाथ), सगरा ताल (सिगरा-महमूरगंज), कबीरपुर के पास ताल (रामनगर), कबीर प्राकट्य स्थल तालाब (द्वितीय चरण), रेवा तालाब (द्वितीय चरण), लमही के प्रेमचंद सरोवर का सुंदरीकरण होगा।
- 29.53 करोड़ से उंदी ताल में प्रस्तावित "गौतमबुद्ध इको पार्क' का होगा कायाकल्प।
- 33.93 करोड़ से कचहरी स्थित आंबेडकर चौराहे से सेंट्रल जेल रोड होते हुए संत अतुलानंद चौराहे तक एवं भोजूबीर से पांडेयपुर फ्लाईओवर और सड़क उच्चीकरण का काम होगा। इसके अलावा गोलधर तिराहा, जेपी मेहता इंटर कालेज तिराहा, रथयात्रा चौराहा, संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय चौराहा एवं भोजूबीर आदि चौराहे और सुदृढ़ होंगे।
- वीडीए के लीज पर आवंटित भूखंडों पर आवंटियों द्वारा 10 वर्ष की अवधि तक भवन निर्माण नहीं किए जाने की स्थिति में शासन से नीति निर्धारण एवं मार्ग दर्शन का प्रस्ताव।
- इंग्लिशिया लाइन स्थित जवाहर लाल नेहरू व्यावसायिक कांप्लेक्स के पुनर्विकास पर सहमति।
- वीडीए सीमा में पर्यावरण को लेकर हार्टिकल्चर विंग की संरचना एवं स्थापना पर स्वीकृति।

विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक को संबोधित करते कमिश्नर कौशल राज शर्मा • जागरण

मानचित्र सुविधा सेल का उद्घाटन

भवन स्वामियों की सुविधा के लिए वीडीए में मानचित्र सुविधा सेल का उद्घाटन मंडलायुक्त कौशलराज शर्मा ने किया। वीडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि भवन स्वामियों को अपने भवन का नक्शा पास कराने में कोई दिक्कत न हो, इसलिए सेल का गठन किया गया है। सेल के प्रभारी नगर नियोजक प्रभात कुमार होंगे। सेल की मासिक समीक्षा की जाएगी। देखा जाएगा कितना नक्शा पास हुआ और कितना निरस्त।

जमीन का मिलेगा ब्योरा

भवन स्वामियों की सुविधा के लिए वीडीए में नवीन वेब पोर्टल www.vdavns.com का लोकार्पण मंडलायुक्त कौशलराज शर्मा ने किया। नगर नियोजक प्रभात कुमार ने बताया कि भवन का नक्शा पास कराने के लिए लोग आवेदन करते है। बाद में मालूम चलता कि लैंड यूज आवासीय या कमर्शियल नहीं है, इससे मानचित्र स्वीकृत नहीं हो सकता है। इस पोर्टल पर जमीन का आराजी नंबर डालते ही जमीन का पूरा ब्योरा आ जाएगा।

बैठक में ये रहे मौजूद

वाराणसी विकास प्राधिकरण बोर्ड के नामित सदस्य अंबरीष सिंह भोला, प्रदीप अग्रहरि, साधना वेदांती, जिलाधिकारी एस राजलिंगम, मीरजापुर की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन, वीडीए के संयुक्त सचिव परमानंद यादव, नगर नियोजक प्रभात कुमार, तहसीलदार सुनील श्रीवास्तव, संपत्ति अधिकारी आरके जायसवाल, उप निदेशक पर्यटन आरके रावत आदि मौजूद रहे।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

अमर उजाला–दि0 05.07.2024

अवैध निर्माण की पेनाल्टी पर 12% ब्याज, किस्त भूले तो 15% चक्रवृद्धि

वाराणसी विकास प्राधिकरण बोर्ड की 131वीं बैठक में लिया गया फैसला

माई सिटी रिपोर्टर

वाराणसी। अब अवैध निर्माण पर लगने वाले शमन शुल्क (पेनाल्टी) के भुगतान पर 12 फीसदी ब्याज के साथ किस्त भरनी होगी। 30 दिन में किस्त का भुगतान न होने पर 15 फीसदी चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। ये फैसला मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को वीडीए सभागार में हुई वाराणसी विकास प्राधिकरण बोर्ड की 131वीं की बैठक में लिया गया।

बैठक में शमन शुल्क (पेनाल्टी) पर ब्याज दर के निर्धारण के प्रस्ताव पर को बोर्ड ने स्वीकृति दी। तय किया कि शमन शुल्क का भुगतान करने के लिए ब्याज लगाया जाएगा। शमन शुल्क की धनराशि 50 लाख से कम होने पर दो अर्द्धवार्षिक किस्तों में शुल्क के भुगतान की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए 12 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से किस्त निर्धारित किया गया है। इसके लिए डिमांड लेटर जारी किया जाएगा।

डिमांड लेटर जारी करने के 30 दिनों में मूल या किस्त का भुगतान न करने पर 15 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाएगा। तय समय यानी एक साल बाद मानचित्र निरस्त कर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा। एक साल में भुगतान पूरा न होने पर जमा सभी धनराशि जब्त कर ली जाएगी। इसी तरह 50 लाख से अधिक शमन शुल्क होने पर चार अर्धद्वार्षिक किस्तों में शुल्क का भुगतान करना होगा। दो साल बाद मानचित्र निरस्त करते हुए अधिनियम के अनुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी और पूरा भुगतान न होने पर जमा धनराशि जब्त कर ली जाएगी।

वीडीए सभागार में अधिकारियों के साथ बोर्ड की बैठक करते मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा साथ में जिलाधिकारी एस राजलिंगम और वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग। अमर उजाला

बैठक में शहर के विकास के साथ कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पास किया गया। इसके अलावा पांच करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं को शासन में भेजने से पूर्व बोर्ड ने स्वीकृति दी। इस दौरान वीडीए उपाध्यक्ष ने प्रस्तावित योजनाओं का खाका खींचा। बैठक में वीडीए बोर्ड के नामित सदस्यों में प्रदीप अग्रहरि, अंबरीष सिंह भोला, साधना वेदांती, जिलाधिकारी एस राजलिंगम, मिर्जापुर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन आदि शामिल रहे।

इन नए प्रस्तावों को बोर्ड ने दी स्वीकृति : शहर में पेट्रोल पंप और फ्यूअल स्टेशन स्थापित करने के लिए भूखंड का आकार मानकों में संशोधन किया गया। अब पीडब्ल्यूडी से निर्धारित न्यूनतम माप 20 गुने 20 मीटर में स्टेशन स्थापित किए जा सकेंगे।

एक साल में अवैध निर्माण की आईं 573 शिकायतें

वीडीए में एक साल के भीतर 573 शिकायतें आई हैं। इनमें ज्यादातर नोटिस, सील और शमन की कार्रवाई की गई है। कुछ अवैध निर्माण को ढहाने की कार्रवाई की गई है। नियमानुसार पहले मानचित्र पास करने के बाद निर्माण कराने का प्राविधान है। लेकिन निर्माणकर्ता पहले निर्माण कराता है। इसके बाद वह वीडीए में शमन शुल्क जमा करके अपने निर्माण के मानचित्र को पास कराता है।

28.37 करोड़ से छह तालाबों-कुंडों का होगा सुंदरीकरण

शहर के विभिन्न स्थानों पर 28.37 करोड़ रुपये से तालाबों, कुंडों का सुंदरीकरण कराया जाएगा। इसके तहत नरोखर तालाब (सारनाथ), सगरा ताल (सिगरा महमूरगंज), कबीरपुर के समीप स्थित ताल (रामनगर), कबीर प्राकट्य स्थल तालाब (द्वितीय चरण), रेवा तालाब (द्वितीय चरण), लमही स्थित प्रेमचन्द सरोवर के संरक्षण एवं रिनोवेशन के कार्य कराए जाएंगे। वहीं, उन्दी में 29.53 करोड़ से गौतमबुद्ध ईको पार्क विकसित होगा। 33.93 करोड़ से शहर के प्रमुख चौराहों का सुंदरीकरण होगा। इनमें कचहरी स्थित आंबेडकर चौराहे से सेंट्रल जेल रोड होते हुए संत अतुलानंद चौराहे तक और भोजूबीर से पांडेयपुर फ्लाईओवर तक सड़क के उच्चीकरण का कार्य होगा। गोलघर तिराहा, जेपी मेहता चौक, रथयात्रा चौराहा, सम्पूर्णानंद चौराहा और भोजूबीर चौराहे का सुंदरीकरण होगा। गंगा से 200 मीटर दायरे में जर्जर भवनों के मरम्मत के लिए शासनादेश में संशोधन का अनुरोध किया गया। वीडीए की लीज भूमि पर 10 साल तक भवन निर्माण न करने पर शासन से मार्गदर्शन मांगा गया। वहीं, जवाहर लाल नेहरू व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का पुनर्विकास होगा।

एक सेल और दो पोर्टल का हुआ लोकार्पण: जनता के लिए वीडीए बोर्ड के सदस्यों ने मानचित्र सुविधा सेल और ऑनलाइन भू-प्रयोग वेब-पोर्टल एप्लिकेशन, वीडीए की उच्चीकृत नवीन वेब पोर्टल www.vdavns.com का लोकार्पण किया। मंडलायुक्त ने मानचित्र स्वीकृति के लिए आवश्यक दस्तावेज की सूची और प्रक्रिया को सेल की दीवारों पर प्रदर्शित करने को कहा। मानचित्र सुविधा सेल सुबह दस बजे से अपराह्न 12 बजे तक संचालित होगा। ऑनलाइन भू-प्रयोग वेब-पोर्टल से आम जनमानस घर बैठे किसी भी भूमि का आराजी संख्या और उस आराजी का भू प्रयोग जान सकेगा।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

अमर उजाला–दि0 05.07.2024

जर्मन हैंगर से पानी टपकने की जांच करेगा वीडीए

वाराणसी। मानसून की पहली बारिश में प्रो-पुअर परियोजना में गड़बड़ी दिखने लगी है। सारनाथ में पर्यटक बूथ के बाद जर्मन हैंगर से पानी टपकने की शिकायत पर वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने बृहस्पतिवार दोपहर कार्यदायी संस्था के अलावा संबंधित विभागों के कर्मचारियों को कार्यालय बुलाकर गड़बड़ियों की जानकारी ली। शुक्रवार को वीडीए की टीम जांच कर उपाध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपेगी। ब्यूरो

आज–दि0 05.07.2024

मानचित्रको सरल बनानेके लिए विप्रा बोर्ड सहमत

मानचित्र सुविधा सेलकी स्थापना, नवीन बेवसाइट पोर्टलका उद्घाटन

मानचित्र स्वीकृति प्रक्रियाको सरल और सर्वसुलभ बनानेके लिए जहां मानचित्र सुविधा सेवाकी स्थापना की गयी है, वहीं गुरुवारको नवीन वेबसाइट पोर्टलका उद्घाटन किया गया। इससे एनओसी बनानेमें ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। विकास प्राधिकरण बोर्डकी मण्डलायुक्त और विप्रा अध्यक्ष कौशल राज शर्माके नेतृत्वमें गुरुवारको हुई बैठकमें मानचित्र प्रक्रियाको सरल बनाने और विकास

रथयात्रासे सम्पूर्णानन्द चौराहेतक सड़कोंका होगा सुन्दरीकरण

कार्योंपर अधिकसे अधिक कार्य करने पर विप्रा सदस्योंने सहमति जतायी।

बोर्डकी बैठकमें उपाध्यक्ष पुलकित गर्गने बताया कि मानचित्र स्वीकृतिकी प्रक्रिया अधिक प्रभावी, त्वरित और सरल बनानेके लिए मानचित्र सुविधा सेलकी स्थापना की गयी है। जहांपर लोग सम्पर्क करके मानचित्र स्वीकृतिमें सहयोग ले सकते हैं। वाराणसी विकास क्षेत्रमें प्रभावी महायोजनाके अन्तर्गत भूप्रयोगका वेब पोर्टल एप्लीकेशनको स्थापना एवं संचालन विकास प्राधिकरणके उच्च नवीन वेब पोर्टलपर किया गया है। भू-प्रयोगके विपरीत किये जानेपर निर्माण कार्योंपर अंकुश लगानेके लिए लोग अपने घरपर देख सकते हैं। किसी व्यक्तिको जमीन क्रय विक्रय करनेके लिए विभागका चक्कर न लगाने पड़े इसके लिए इस पोर्टलका सहारा लेते हुए आवश्यक जानकारी मिल जायेगी। गुरुवारको बैठकमें सदस्योंने लगभग आधा दर्जन प्रस्तावोंको मंजूरी प्रदान की जिनमें नगरीय क्षेत्रमें पेट्रोल पम्प, फ्यूल स्टेशन स्थापित करनेके लिए भूखण्डका आकारके मानकोंमें संशोधन किया गया है। इसके लिए उपविधि २००८ में किये

गये संशोधनको नवीन किया गया है। समन उपविधि २००९ के बिन्दु-८ और नियम ५,२ में समन मानचित्रपर ब्याज दर निर्धारित करनेके लिए बोर्डने स्वीकृति दे दी है। जिसमें किसी भू स्वामीपर ५० लाखसे कम समन होनेपर दो अर्द्धवार्षिक किस्तोंमें भुगतान किया जा सकता है। इसमें भूस्वामी १२ प्रतिशत ब्याज देना होगा। ३० दिनके अन्दर मूल और किस्तका भुगतान न होनेपर १५ प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज लगायी जायेगी लेकिन एक वर्ष बीत जानेपर भुगतान न होनेपर समस्त जमाराशि जब्त कर ली जायेगी। इसी प्रकार ५० लाखसे अधिक होनेपर चार अर्द्धवार्षिक किस्तोंमें १२ प्रतिशत ब्याजकी दरसे ३० दिवसीयके भीतर करना आवश्यक है। ३० दिनके बाद इस पर १५ प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। भवन स्वामी या भूस्वामी दो वर्षोंसे अधिक किस्त और मूलधनका भुगतान नहीं किये गये तो उनकी समस्त राशि जब्त कर ली जायेगी। बोर्डके सदस्योंने पांच करोड़से अधिक परियोजनाओंका लोगोंको लाभ मिले इस पर स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसमें नरोखर तालाबा सारनाथ, सगरा तालाब, सिगरा-महमूरगंज, कबीरपुर, रामनगरके पास ताल एवं कबीर प्राकट्य स्थल, द्वितीय चरणके तालाब मरम्मत, रेवा तालाब लमहीके अलावा प्रेमचन्द सरोवरके संरक्षण और पुनर्निर्माणके लिए २८.३७ लाख, ग्राम उन्दीमें प्रस्तावित गौतम बुद्ध इकोपार्क उन्दी सारनाथ, इसकी लागत २९.५३ लाख, अम्बेडकर चौराहेसे सेन्ट्रल जेल होते हुए एक स्कूलके चौराहेतक और भोजूबीरसे पाण्डेयपुर फ्लाईओवरतक उच्चीकरण कार्य, गोलघर तिराहेसे जे.पी.मेहता चौक, रथयात्रा चौराहा, सम्पूर्णानन्द, भोजूबीरके सुन्दरीकरणपर ३३.९३ लाख। सदस्योंने लीजपर आवंटित भूखण्डोंपर दस

जवाहरलाल नेहरू व्यावसायिक केन्द्रके पुनर्विकासपर सदस्योंकी लगी मुहर

वर्षोंपर निर्माण न होनेपर प्राधिकरण शासन द्वारा निर्धारित नीतिका पालन करेगी। जवाहर लाल नेहरू काम्प्लेक्स ईलिशियालाइनके पुनर्विकाशपर बोर्डको अनुमति मिली। पर्यावरणके हार्टिकल्चर विंगकी रचना एवं स्थापनापर सदस्योंकी मुहर लगी। गंगाके प्रतिबंधित दो सौ मीटरके दायरेमें निवास कर रहे लोगोंके भवनोंकी मरम्मतके सम्बन्धमें शासनके संशोधनको ध्यानमें रखकर एवं उच्च बाढ़ बिन्दुमें प्रभावित जर्जर भवनोंको दुरुस्त करनेके लिए शासनसे स्वीकृति की गयी कि सदस्योंने इस तरहके भवनोंके निर्माणपर शासनसे राय भी मांगी गयी है। बैठकमें विप्रा बोर्डके अध्यक्षके अलावा एस.राजलिंगम, जिलाधिकारी मीरजापुर प्रियंका निरंजन, उपाध्यक्ष के अलावा विप्रा सचिव डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा, नामित सदस्य प्रदीप अग्रहरि, अम्बरीष सिंह, साधना वेदान्तीके अलावा विप्रा और अन्य विभागोंके प्रमुख अधिकारी मौजूद थे।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

राष्ट्रीय सहारा–दि0 05.07.2024

'मानचित्र सुविधा सेल' का गठन

वाराणसी (एसएनबी)। वाराणसी विकास प्राधिकरण की 131 वीं बोर्ड बैठक गुरुवार को वीडीए अध्यक्ष/ मण्डलायुक्त कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बोर्ड के समक्ष प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने किया जबकि बैठक का संचालन प्राधिकरण सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने किया। उपाध्यक्ष ने विस्तार से चर्चा करते हुए विगत बैठकों में

वाराणसी विकास प्राधिकरण बोर्ड की 131वीं बैठक

मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए उठाया गया कदम

लिये गये निर्णयों के अनुपालन से बोर्ड को अवगत कराया। बोर्ड के समक्ष प्रस्तावित परियोजनाओं का खाका खींचा गया तथा अवैध निर्माणों के विरुद्ध कार्रवाई अनवरत जारी रहने के विषय में अवगत कराया गया। प्रधिकरण बोर्ड बैठक से पूर्व वाराणसी विकास प्राधिकरण में नवीन स्थापित एवं उच्चीकृत मानिचत्र सुविधा सेल (Map Facilitation Cell) का उद्घाटन वीडीए अध्यक्ष द्वारा समस्त बोर्ड सदस्यों की उपस्थिति में किया गया। मानिचत्र सुविधा सेल के निरीक्षण के दौरान वीडीए अध्यक्ष ने मानिचत्र स्वीकृति के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची तथा प्रक्रिया को सेल की दीवारों पर प्रदर्शित करने के लिए निर्देश प्रदान किया, इसके अतिरिक्त मानद बोर्ड सदस्यों द्वारा सेल के प्रभावी ढंग से कार्य निष्पादन के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान किये गये। मानिचत्र सुविधा सेल के माध्यम से मानिचत्र स्वीकृति की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी, त्वरित, सुगम एवं सरल बनाने के लिए नगर नियोजक प्रभात कुमार की अध्यक्षता में मानिचत्र सुविधा सेल का गठन किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य मानिचत्र स्वीकृति प्रक्रिया को सुव्यवस्थित एवं सरल बनाना, जन-सामान्य को अद्यतन सूचना/मानकों से अवगत कराना, सहायता प्रदान करना एवं समय-सीमा के बारे स्पष्ट जानकारी देकर पारदर्शिता को बढ़ावा देना है।

मानिचत्र सुविधा सेल में कार्यरत कार्मिक प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 12:00 बजे तक कार्यालय कक्ष संख्या-38 में उपस्थित रहकर एवं जनता / निर्माणकर्ता से संवाद/ विचार-विमर्श कर मानिचत्र स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल बनाने का कार्य प्रभावी रूप से संपादित करेंगें। प्रधिकरण बोर्ड सदस्यों ने वाराणसी विकास प्राधिकरण के वाराणसी विकास क्षेत्र में वर्तमान प्रभावी महायोजनाओं के अंतर्गत आनलाईन भू-प्रयोग वेब-पोर्टल एप्लीकेशन की स्थापना एवं संचालन तथा वाराणसी विकास प्राधिकरण की उच्चीकृत नवीन वेब पोर्टल www.vdavns.com का उद्घाटन किया गया। आनलाईन भू-प्रयोग वेब-पोर्टल एप्लीकेशन के माध्यम से आम जनमानस घर बैठे किसी भी भूमि की आराजी संख्या एवं ग्राम के नाम को प्रदान करते हुए पोर्टल के माध्यम से उस आराजी का भू प्रयोग जान सकेगा।

मुख्य प्रस्तावः नगरीय क्षेत्रों में पेट्रोल पम्प स्थापित करने के लिए भूखण्ड का आकार मानकों में संशोधन के संबंध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित) में किये गये संशोधन को अंगीकृत करने के प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

शमन उपविधि-2009 के बिंदु संख्या-8 नियम 5, 2 क अनुक्रम में शमन शुल्क पर ब्याज दर के निर्धारण के संबंध में प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। वाराणसी विकास प्राधिकरण उपरोक्त निर्णय के क्रम में शमन शुल्कों का भुगतान करने के लिए आवेदकों को ब्याज आरोपित करते हुए किस्तों में भुगतान करने की सुविधा होगी।

बैठक में वाराणसी विकास प्राधिकरण बोर्ड के नामित सदस्यगण प्रदीप अग्रहरी, अम्बरीष सिंह (भोला), साधना वेदांती, जिलाधिकारी एस. राजलिंगम, जिलाधिकारी मिर्जापुर प्रियंका निरंजन, उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग एवं अन्य बोर्ड सदस्यों / प्रतिनिधियों तथा प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

अन्य प्रस्तावों में

- शहर विभिन्न स्थानों पर तालाबों/ कुण्डों क्रमशः नरोखर तालाब (सारनाथ), सगरा ताल (सिगरा महमूरगंज), कबीरपुर के समीप स्थित ताल (रामनगर), कबीर प्राकट्य स्थल तालाब (द्वितीय चरण), रेवा तालाब (द्वितीय चरण), लमहीं स्थित प्रेमचन्द सरोवर के संरक्षण एवं रिनोवेशन के कार्य लागत रु. 28.37
- पिण्डरा के ग्राम-उंदी में प्रस्तावित 'गौतमबुद्ध ईको पार्क उंदी, सारनाथ, वाराणसी' परियोजना का कार्य 29.53 लाख से होगा
- कचहरी स्थित अंबेडकर चौराहा से सेंट्रल जेल रोड होते हुए संत अतुलानंद चौराहे तक एवं भोजूबीर से पाण्डेयपुर फ्लाईओवर तक सड़क के उच्चीकरण का कार्य तथा गोलघर तिराहा, जेपी मेहता चौक, रथयात्रा चौराहा, सम्पूर्णानंद चौराहा एवं भोजूबीर आदि चौराहो के सुदृढ़ीकरण का कार्य 33.93 लाख से होगा।
- प्राधिकरण द्वारा विकसित जवाहर लाल नेहरू व्यावसायिक कॉम्पलैक्स, इंग्लिशिया लाईन के पुनर्विकास को स्वीकृति प्रदान की गयी।
- जनपद वाराणसी में उच्च बाढ़ बिंदु क्षेत्र के अंतर्गत निर्मित जर्जर भवनों की मरम्मत की अनुमति गंगा से 200 मीटर के अंतर्गत पूर्व में शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं शासनादेशों के अधीन दिये जाने के संबंध में प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा वर्तमान प्रभावी शासनादेशों को उच्च बाढ़ बिंदु क्षेत्र के अंतर्गत निर्मित जर्जर भवनों की मरम्मत के लिए भी प्रभावी करने के लिए शासनादेश में संशोधन कराने के लिए शासन से अनुरोध किये जाने के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

हिन्दुस्तान—दि0 05.07.2024

वीडीए बोर्ड ने शासन को प्रस्ताव भेजने की दी स्वीकृति, बड़ी आबादी वर्षों से भवनों में नहीं करा पा रही काम

गंगा किनारे मरम्मत की मांगेंगे अनुमति

मिलेगी राहत

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। वीडीए प्रशासन गंगा किनारे 200 मीटर, उच्चतम बाढ़ बिंदु (हाई फ्लड लेवल, एचएफएल) के दायरे में स्थित मकानों की मरम्मत की अनुमति के लिए प्रदेश शासन को प्रस्ताव भेजेगा। वह निर्णय गुरुवार को वीडीए बोर्ड की 131वीं बैठक में लिया गया।

जैसा कि संकेत है, शासन से मरम्मत की अनुमति मिलने के बाद गंगातटीय इलाकों की बड़ी आबादी को राहत मिलेगी क्योंकि पिछले दो दशक से मरम्मत के अभाव में दर्जनों मकान जर्जर हो चुके हैं। कमिश्नर कौशलराज शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए।

एचएफएल के दायरे में बने भवनों की मरम्मत की अनुमति के लिए खासा परेशानी होती है। कई बार बिना अनुमति मरम्मत कराने वालों को कार्रवाई भी झेलनी पड़ती है। सैकड़ों जर्जर भवनों की मरम्मत वर्षों से नहीं हो सकी है। इसके अलावा लोगों को एक क्लिक पर जमीनों के भू-उपयोग की जानकारी भी मिलेगी। वीडीए कार्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे। मानचित्र आवेदन भू-प्रयोग के कारण निरस्त नहीं होंगे। वीडीए की वेबसाइट **www.vdavns.com** के भू-प्रयोग लिंक पर आराजी संख्या और मौजा भरते ही भू-उपयोग दिख जाएगा। इससे मानचित्र बनवाना आसान होगा। बैठक में डीएम एस. राजलिंगम, मिर्जापुर की डीएम प्रियंका निरंजन, वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग, सचिव डॉ. वेदप्रकाश मिश्रा आदि मौजूद रहे।

मानचित्र सुविधा सेल का उद्घाटन: बोर्ड बैठक से पहले बोर्ड के नामित सदस्यों-प्रदीप अग्रहरि, अंबरीश सिंह भोला, साधना वेदांती और कमिश्नर कौशलराज शर्मा ने मानचित्र सुविधा सेल का उद्घाटन किया। नगर नियोजक प्रभात कुमार की अध्यक्षता में सेल का गठन हुआ है। सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक कक्ष संख्या 38 में लोग जानकारी दी जाएगी।

नामित सदस्यों ने जताई आपत्ति: बोर्ड के नामित सदस्यों ने अधिकारियों पर उनका सम्मान न करने और समय से सूचनाएं न देने का आरोप लगाया। सदस्यों ने वीडीए प्रशासन की कार्यशैली पर नाराजगी जताई।

कमिश्नर कौशलराज शर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई वीडीए बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। • हिन्दुस्तान

शमन मानचित्र को भुगतान

शमन मानचित्र के शुल्क का अब किस्तों में भुगतान करने की सुविधा मिलेगी। आवेदक को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करना होगा। 50 लाख रुपये से कम राशि पर साल में दो किस्त और 50 लाख से अधिक राशि पर दो साल में चार किस्त में भुगतान की सुविधा रहेगी। तय समय सीमा में भुगतान न करने पर मानचित्र निरस्त करते हुए जमा राशि जब्त कर ली जायेगी।

अन्य प्रमुख निर्णय

1. नरोखर तालाब (सारनाथ), सगरा ताल (सिगरा), कबीरपुर (रामनगर) तालाब, कबीर प्राकट्य स्थल तालाब, रेवा तालाब, लमही स्थित प्रेमचन्द सरोवर के संरक्षण के लिए 28.37 रुपये स्वीकृत
2. उंदी में प्रस्तावित गौतमबुद्ध ईको पार्क के लिए स्वीकृत हुए 29.53 लाख
3. कचहरी के आंबेडकर चौराहा से सेंट्रल जेल रोड होते हुए संत अतुलानन्द चौराहा एवं भोजूबीर से पांडेयपुर फ्लाईओवर, जेपी मेहता चौराहा, रथयात्रा चौराहा, सम्पूर्णानन्द चौराहा के सुदृढीकरण के लिए 33.93 लाख रुपये स्वीकृत
4. लीज पर आवंटित भूखण्डों पर 10 वर्ष तक भवन निर्माण न होने की स्थिति में कार्यवाही के लिए में शासन से मांगेंगे मार्गदर्शन
5. इंग्लिशिया लाइन के नेहरू मार्केट के पुनर्विकास को स्वीकृति
6. वीडीए में हॉर्टिकल्चर विंग की स्थापना को मंजूरी

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

जनसंदेश टाइम्स–05.07.2024

वीडीए ने पांच करोड़ की परियोजनाएं पेश कीं

तैयारी

शासन से मंजूरी के लिए बोर्ड ने दी अपनी स्वीकृति

जनसंदेश न्यूज

वाराणसी। विकास प्राधिकरण की131वीं बोर्ड की बैठक गुरुवार को कमिश्नर कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में हुई। इसमें वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बोर्ड के समक्ष नए महत्वपूर्ण प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण किया। पिछली बैठकों में लिये गए निर्णयों से बोर्ड को अवगत कराया। बताया कि अवैध निर्माणों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी है। इस दौरान पांच करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को शासन से स्वीकृति के लिए बोर्ड ने स्वीकृति प्रदान की।

बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नए महत्वपूर्ण प्रस्ताव

सिगरा-महमूरगंज स्थित सगरा ताल,नरोखर तालाब (सारनाथ),

रामनगर कबीरपुर स्थित ताल, कबीर प्राकट्य स्थल तालाब, रेवा तालाब, लमही स्थित प्रेमचन्द सरोवर के संरक्षण व रिनोवेशन के कार्य।पिंडरा तहसील के उन्दी में गौतम बुद्ध ईको पार्क का कार्य। कचहरी स्थित अम्बेडकर चौराहे से सेन्ट्रल जेल रोड होते हुए संत अतुलानन्द चौराहे तक व भोजूबीर से पाण्डेयपुर फ्लाईओवर तक सड़क के उच्चीकरण का कार्य।गोलघर तिराहा, जेपी मेहता चौक, रथयात्रा चौराहा, सम्पूर्णानन्द चौराहा, भोजूबीर आदि चौराहों के सुदृढ़ीकरण का कार्य। इंग्लिशिया लाइन स्थित जवाहर लाल नेहरू व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के पुनर्विकास के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी। उच्च बाढ़ बिन्दु क्षेत्र में स्थित जर्जर भवनों की मरम्मत के लिए शासनादेश में संशोधन के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी।नगरीय क्षेत्र में पेट्रोल पम्प, फ्यूल स्टेशन स्थापित करने के लिए निर्धारित न्यूनतम माप 2020 मीटर अनुमन्य होगी। शमन शुल्क पर ब्याज दर के निर्धारण के प्रस्ताव पर बोर्ड ने स्वीकृति प्रदान की। वीडीए शमन शुल्कों का भुगतान करने को आवेदकों को किस्तों में भुगतान करने की सुविधा प्रदान करेगा।

नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए बना सेल

बैठक से पूर्व वीडीए में नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को त्वरित व सरल बनाने नए स्थापित मानचित्र सुविधा सेल का उद्घाटन किया गया। इस दौरान अध्यक्ष ने मानचित्र स्वीकृति के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची सेल की दीवारों पर चस्पा करने के निर्देश दिये। सेल में कार्यरत कर्मचारी प्रात: 10 से दोपहर 12बजे तक कक्ष संख्या-38 में उपस्थित रहकर कार्य निबटाएंगे। वीडीए की नवीन वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया। वहीं आम जन आनलाइन भू-प्रयोग वेब-पोर्टल एप्लिकेशन के माध्यम से घर बैठे किसी भी भूमि की आराजी का भू प्रयोग जान सकेगा। बैठक में वीडीए के बोर्ड के नामित सदस्य प्रदीप अग्रहरि, अम्बरीष सिंह (भोला), साधना वेदांती, जिलाधिकारी एस राजलिंगम, डीएम मिर्जापुर प्रियंका निरंजन, उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग बोर्ड के अन्य सदस्य, अधिकारी रहे। संचालन प्राधिकरण सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने किया।

जनवार्ता – 05.07.2024

उच्चीकृत मानचित्र सुविधा सेल, भू-प्रयोग नवीन वेब-पोर्टल उद्घाटित

वीडीए की 131वीं बोर्ड की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर, शहर के पांच तालाबों का संरक्षण एवं पुनर्निर्माण होगा, शमन शुल्कों का ब्याज सहित भुगतान अब किस्तों में

वाराणसी (जनवार्ता)। वाराणसी विकास प्राधिकरण की 131 वीं बोर्ड बैठक आयुक्त, वाराणसी मण्डल/ अध्यक्ष, वा.वि.प्रा. कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को विकास प्राधिकरण सभागार में हुई। बोर्ड के समक्ष प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग द्वारा किया गया, जबकि बैठक का संचालन प्राधिकरण सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा किया गया। उपाध्यक्ष द्वारा विस्तार से चर्चा करते हुए विगत बैठकों में लिये गये निर्णयों के अनुपालन से बोर्ड को अवगत कराया गया। बोर्ड के समक्ष प्रस्तावित परियोजनाओं का खाका खींचा गया तथा अवैध निर्माणों के विरुद्ध कार्रवाई अनवरत जारी रहने के विषय में अवगत कराया गया।

प्राधिकरण बोर्ड बैठक से पूर्व वाराणसी विकास प्राधिकरण में नवीन स्थापित एवं उच्चीकृत मानचित्र सुविधा सेल (map facilitation cell) का उद्घाटन अध्यक्ष/आयुक्त द्वारा बोर्ड सदस्यों की उपस्थिति में किया गया। मानचित्र सुविधा सेल के निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष द्वारा मानचित्र स्वीकृति हेतु

वीडीए बोर्ड की बैठक में कमिश्नर, डीएम, वीडीए वीसी, नामित सदस्य व अन्य अधिकारी, मानचित्र सुविधा सेल का फीता काटकर उद्घाटन करते कमिश्नर व डीएम द्वय।

आवश्यक दस्तावेजों की सूची तथा प्रक्रिया को सेल की दीवारों पर प्रदर्शित करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये, इसके अतिरिक्त मानद बोर्ड सदस्यों द्वारा सेल के प्रभावी ढंग से कार्य निष्पादन के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान किये गये। मानचित्र सुविधा सेल के माध्यम से मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी, त्वरित, सुगम एवं सरल बनाने हेतु नगर नियोजक प्रभात कुमार की अध्यक्षता में मानचित्र सुविधा सेल का गठन किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया को सुव्यवस्थित एवं सरल बनाना, जन-सामान्य को आवश्यक सूचना/मानकों से अवगत कराना, सहायता प्रदान करना एवं समय-सीमा के बारे स्पष्ट जानकारी देकर पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। प्राधिकरण बोर्ड सदस्यों ने वीडीए द्वारा वाराणसी विकास क्षेत्र में वर्तमान प्रभावी महायोजनाओं के अंतर्गत आनलाईन भू-प्रयोग वेब-पोर्टल एप्लिकेशन की स्थापना एवं संचालन तथा वीडीए की उच्चीकृत नवीन वेब पोर्टल www.vdavns.com का उद्घाटन किया गया। आनलाईन भू-प्रयोग वेब-पोर्टल एप्लिकेशन के माध्यम से आम जनमानस घर बैठे किसी भी भूमि की आराजी संख्या एवं ग्राम के नाम को प्रदान करते हुये पोर्टल के माध्यम से उस आराजी का भू प्रयोग जान सकेगा। प्राधिकरण की इस पहल से भू-प्रयोग के विपरीत किये जाने वाले निर्माणों पर अंकुश लगेगा। तथा आम जनमानस को घर बैठे भू प्रयोग के संबंध में समस्त सूचनायें प्राप्त हो सकेंगी।

बोर्ड की बैठक में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित) में नगरीय क्षेत्रों में पेट्रोल पम्प/फ्यूल स्टेशन स्थापित करने के लिए भूखण्ड का आकार मानकों में संशोधन के सम्बंध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि -2008 (यथा संशोधित) में किये गये संशोधन को अंगीकृत करने के प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। नवीन संशोधन के अनुसार नगरीय क्षेत्रों में पेट्रोल पम्प/फ्यूल स्टेशन स्थापित करने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम माप 2020 मीटर अथवा आयल कंपनियों द्वारा निर्गत लेटर आफ इंटेंट में उल्लिखित माप अनुमन्य होगी। शमन उपविधि-2009 के बिन्दु संख्या-8 नियम 5.2 के अनुक्रम में शमन शुल्क पर ब्याज दर के निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

प्राधिकरण उपरोक्त निर्णय के क्रम में शमन शुल्कों का भुगतान करने हेतु आवेदकों को ब्याज आरोपित करते हुये किस्तों में भुगतान करने की सुविधा प्रदान करेगा।

5 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शासन से स्वीकृति हेतु प्रेषित करने से पूर्व बोर्ड के अनुमोदन के प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया जिसमें शहर के विभिन्न स्थानों पर तालाबों/ कुण्डों क्रमशः नरोखर तालाब (सारनाथ), सगरा ताल (सिगरा महमूरगंज), कबीरपुर के समीप स्थित ताल (रामनगर), कबीर प्राकट्य स्थल तालाब (द्वितीय चरण), रेवा तालाब (द्वितीय चरण), लमही स्थित प्रेमचन्द सरोवर के संरक्षण एवं रिनोवेशन के कार्य कराया जायेगा। जवाहर लाल नेहरू व्यावसायिक कॉम्पलैक्स, इंग्लिशिया लाईन के पुनर्विकास के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। लीज पर आवंटित भूखण्डों पर आवंटियों द्वारा 10 वर्ष की अवधि तक भवन निर्माण न किये जाने की स्थिति में प्राधिकरण ने शासन से नीति निर्धारण एवं मार्ग दर्शन हेतु प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

बैठक में वाराणसी विकास प्राधिकरण बोर्ड के नामित सदस्य प्रदीप अग्रहरी, अम्बरीष सिंह (भोला), साधना वेदांती, जिलाधिकारी एस. राजलिंगम, जिलाधिकारी मिर्जापुर प्रियंका निरंजन, उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग एवं अन्य बोर्ड सदस्यों/ प्रतिनिधियों तथा प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश – 05.07.2024

वाराणसी विकास प्राधिकरण की 131वीं बोर्ड बैठक सम्पन्न

बोर्ड सदस्यों द्वारा किया गया मानचित्र सुविधा सेल एवं आनलाईन भू-प्रयोग वेब-पोर्टल एप्लिकेशन तथा वाराणसी विकास प्राधिकरण की उच्चीकृत नवीन वेब पोर्टल उद्घाटन

वाराणसी।वाराणसी विकास प्राधिकरण की 131 वीं बोर्ड बैठक आयुक्त, वाराणसी मण्डल / अध्यक्ष, वा.वि.प्रा. की अध्यक्षता में सम्पनन्न हुई। बोर्ड के समक्ष प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग द्वारा किया गया जबकि बैठक का संचालन प्राधिकरण सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा किया गया। उपाध्यक्ष द्वारा विस्तार से चर्चा करते हुए विगत बैठकों में लिये गये निणर्यों के अनुपालन से बोर्ड को अवगत कराया गया। बोर्ड के समक्ष प्रस्तावित परियोजनाओं का खाका खीचा गया तथा अवैध निर्माणों के विरुद्ध कार्रवाई अनवरत जारी रहने के विषय में अवगत कराया गया।प्राधिकरण बोर्ड बैठक से पूर्व वाराणसी विकास प्राधिकरण में नवीन स्थापित एवं उच्चीकृत ङमानचित्र सुविधा सेल का उद्घाटन अध्यक्ष / आयुक्त महोदय द्वारा समस्त बोर्ड सदस्यों की उपस्थिति में किया गया। मानचित्र सुविधा सेल के निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा मानचित्र स्वीकृति हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची तथा प्रक्रिया को सेल की दीवारों पर प्रदर्शित करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये, इसके अतिरिक्त मानद बोर्ड सदस्यों द्वारा सेल के प्रभावी ढंग से कार्य निष्पादन के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान किये गये। मानचित्र सुविधा सेलके माध्यम से मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी, त्वरित, सुगम एवं सरल बनाने हेतु नगर नियोजक प्रभात कुमार की अध्यक्षता में मानचित्र सुविधा सेल' का गठन किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया को सुव्यवस्थित एवं सरल बनाना, जन-सामान्य को अद्यतन सूचना/मानकों से अवगत कराना, सहायता प्रदान करना एवं समय-सीमा के बारे स्पष्ट जानकारी देकर पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। बैठक में वाराणसी विकास ङप्राधिकरण बोर्ड के नामित सदस्यगण श्री प्रदीप अग्रहरी, श्री अम्बरीष सिंह (भोला), श्रीमती साधना वेदांती, प्राधिकरण बोर्ड अध्यक्ष आयुक्त श्री कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी श्री एस. राजलिंगम, जिलाधिकारी मिर्जापुर प्रियंका निरंजन, उपाध्यक्ष श्री पुलकित गर्ग एवं अन्य बोर्ड सदस्यों / प्रतिनिधियों तथा प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रतिभागङ किया गया। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय एवं बोर्ड सदस्य द्वारा अनेक बहुमूल्य निर्देश एवं सुझाव प्रदान किये गए।अंत में सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्त की गई।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

तरूणमित्र न्यूज – 05.07.2024

शहर के कुंडो, तालाबों व सरोवरों का होगा सुन्दरीकरण व पार्कों में बनेंगे ओपन जिम

☐ वीडीए की 131वीं बोर्ड बैठक में मानचित्र सुविधा सेल का हुआ उद्घाटन, वीडीए की सीमा में शामिल नए गांवों में चलेगा जागरूकता अभियान

वीडीए की 131वीं बोर्ड बैठक में मौजूद कमिश्नर कौशल राज शर्मा, डीएम एस राजलिंगम, डीएम प्रियंका निरंजन, वीसी पुलकित गर्ग, सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा व अन्य

तरुणमित्र न्यूज

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण की 131 वीं बोर्ड बैठक आयुक्त, वाराणसी मण्डल / अध्यक्ष, वा.वि.प्रा. कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को सम्पन्न हुई। बोर्ड के समक्ष प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग द्वारा किया गया जबकि बैठक का संचालन प्राधिकरण सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा किया गया।

प्राधिकरण बोर्ड बैठक से पूर्व वाराणसी विकास प्राधिकरण में नवीन स्थापित एवं उच्चीकृत मानचित्र सुविधा सेल (Map Facilitation Cell) का उद्घाटन अध्यक्ष / आयुक्त द्वारा समस्त बोर्ड सदस्यों की उपस्थिति में किया गया। मानचित्र सुविधा सेल (Map Facilitation Cell) के माध्यम से मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी, त्वरित, सुगम एवं सरल बनाने हेतु नगर नियोजक प्रभात कुमार की अध्यक्षता में मानचित्र सुविधा सेल (Map Facilitation Cell)' का गठन किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया को सुव्यवस्थित एवं सरल बनाना, जन-सामान्य को अद्यतन सूचना/मानकों से अवगत कराना, सहायता प्रदान करना एवं समय-सीमा के बारे स्पष्ट जानकारी देकर पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। प्राधिकरण बोर्ड सदस्यों द्वारा वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा वाराणसी विकास क्षेत्र में वर्तमान प्रभावी महायोजनाओं के अंतर्गत आनलाईन भू-प्रयोग वेब-पोर्टल एप्लिकेशन की स्थापना एवं संचालन तथा वाराणसी विकास प्राधिकरण की उच्चीकृत नवीन वेब पोर्टल www.vdavns.com का उद्घाटन किया गया। आनलाईन भू-प्रयोग वेब-पोर्टल ऐप्लिकेशन के माध्यम से आम जनमानस घर बैठे किसी भी भूमि की आराजी संख्या एवं ग्राम के नाम को प्रदान करते हुये पोर्टल के माध्यम से उस आराजी का भू प्रयोग जान सकेगा। वाराणसी विकास प्राधिकरण की इस पहल से भू-प्रयोग के विपरीत किये जाने वाले निर्माणों पर अंकुश लगेगा तथा आम जनमानस को घर बैठे भू प्रयोग के संबंध में समस्त सूचनायें प्राप्त हो सकेगी। बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत किये जिन्हें बोर्ड सदस्यों द्वारा अनेक बहुमूल्य सुझावों के साथ स्वीकृति / प्रस्तावित कार्यवाही हेतु निर्देश प्रदान किये गये, जिनमें भवन निर्माण एवं विकास उपविधि -2008 (यथा संशोधित) में नगरीय क्षेत्रों में पेट्रोल पम्प/फ्यूल स्टेशन स्थापित करने के लिए भूखण्ड का आकार मानकों में संशोधन के सम्बंध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि -2008 (यथा संशोधित) में किये गये संशोधन को अंगीकृत करने के प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। 5 करोड़ रु से अधिक की परियोजनाओं का शासन से स्वीकृति हेतु प्रेषित करने से पूर्व बोर्ड के अनुमोदन के प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।वाराणसी शहर विभिन्न स्थानों पर तालाबों / कुण्डों लमहीं स्थित प्रेमचन्द सरोवर के संरक्षण एवं रिनोवेशन के कार्य लागत रु.28.37।जनपद वाराणसी स्थित तहसील-पिण्डरा के ग्राम-उन्दी में प्रस्तावित गौतमबुद्ध ईको पार्क उन्दी, सारनाथ, वाराणसी परियोजना का कार्य लागत रु. 29.53।

वाराणसी शहर में कचहरी स्थित अम्बेडकर चौराहा से सेन्ट्रल जेल रोड होते हुए संत अतुलानन्द चौराहे तक एवं भोजूबीर से पाण्डेयपुर फ्लाईओवर तक सड़क के उच्चीकरण का कार्य तथा गोलघर तिराहा, जे०पी० मेहता चौक, रथयात्रा चौराहा, सम्पूर्णानन्द चौराहा एवं भोजूबीर आदि चौराहो के सुदृढ़ीकरण का कार्य लागत रु. 33.93। विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित जवाहर लाल नेहरू व्यावसायिक कॉम्पलैक्स, इंग्लिशिया लाईन के पुनर्विकास के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के अन्तर्गत पर्यावरण के दृष्टिगत हॉर्टिकल्चर विंग की संरचना एवं स्थापना के सम्बंध में प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।जनपद वाराणसी में उच्च बाढ़ बिन्दु क्षेत्र के अंतर्गत निर्मित जर्जर भवनों को मरम्मत की अनुमति गंगा से 200 मीटर के अंतर्गत पूर्व में शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं शासनादेशों के अधीन दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा वर्तमान प्रभावी शासनादेशों को उच्च बाढ़ बिन्दु क्षेत्र के अंतर्गत निर्मित जर्जर भवनों की मरम्मत के लिए भी प्रभावी करने हेतु शासनादेश में संशोधन कराने हेतु शासन से अनुरोध किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी। बैठक में वाराणसी विकास प्राधिकरण बोर्ड के नामित सदस्यगण प्रदीप अग्रहरी, अम्बरीष सिंह (भोला), साधना वेदांती, प्राधिकरण बोर्ड अध्यक्ष आयुक्त कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी एस. राजलिंगम, जिलाधिकारी मिर्जापुर प्रियंका निरंजन, उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग एवं अन्य बोर्ड सदस्यों / प्रतिनिधियों तथा प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।